

# आदेश - पत्रक

संयुक्त 14-फारम नं० 562

(संघीय अधिनियम, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० ..... से 390  
 जिला ..... दा० खा० वा० स० 5/13/14

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पर्याप्तकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री प्रेमसंकर प्रसाद

पत्निका श्रीमती सीतारामप्रसाद ग्राम बा० खा० चकलपुरा  
 जिला दा० खा० जिला प० खा०

पं० घाला नं० ..... दिनांक .....

यह आदेश पर निम्नलिखित आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

पिता का नाम	पत्नी नं०	घाला नं०	खसरा	पुराजी
<u>चकलपुरा</u>	<u>-</u>	<u>788</u>	<u>128</u>	<u>01570</u>

21

मूल आवेदन पत्र हेतु कार्यवाही को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महल पर सूचना जारी कर आपत्ति को माँग कर। अधिलेख दिनांक 01/04/13 को उपस्थित करें।

महल अधिकारी अंचल अधिकारी

महल पर सामंती नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कार्यवाही का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल किया है जो की अनुरोध किये हैं। फलतः उनके अनुरोध को आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है। शर्त पत्र निम्नलिखित है।

निष्कर्ष एवं सुझाव अंचल अधिकारी

निम्न  
 अंश  
 को  
 हटाने  
 का  
 आदेश  
 है।  
 MS